न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 05/21

1. रूकमणी पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. सुमित्रा देवी पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर,जिला झुन्झुनूं।
3. सुमन देवी भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
4. बबीता कुमारी भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर, हाल सुनिल कुमार पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी दीनवा स्टेण्ड वाया मण्डावा जिला झुंझुनू।
2. श्री दयानन्द्र उर्फ नन्दलाल भूराराम जाति जाट निवासी गांव धीरासर, तहसील मलसीसर। हाल सुनिल कुमार पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी दीनवा स्टेण्ड वाया मण्डावा जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू ।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश 115 दिनांक 19.06.1998
न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू ।

उपस्थितिः–

1 श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट ––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश सैनी,एडवोकेट ––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.08.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आ[illegible] दिनांक 19.06.1998 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू । गांव धीरासर तहसील मलसीसर [illegible]मि खसरा नंबर 102 रकबा 1.35

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

हैक्टर, खसरा नंबर 156 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 218 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 3 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नंबर 312 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 315 रकबा 1.84 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.93 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि भूराराम की पुश्तैनी भूमि रही है जिसे अपने पूर्वज गोविन्दराम से वंशानुगत प्राप्त हुई है। अपीलांट के पिता भूराराम का देहान्त दिनांक 10.09.1995 को हो गया है। भूराराम है। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कैम्प के दौरान विवादित भूमि का नामान्तरण अपने नाम से करवा लिया है। जिसमें सहवन से अपीलांट का नाम दर्ज करने से रह गया। जबकि उक्त भूमि के मूल पुरूष भूराराम है। भूराराम की पत्नी सावित्री देवी के अलावा एक पुत्र विपक्षी संख्या 1 दयानन्द उर्फ नन्दलाल है तथा 4 पुत्रियां जो अपील में अपीलांट हैं। इस प्रकार मृतक भूराराम के कुल 6 विधिक वारीसान है। दिनांक 19.06.1998 को बिना किसी प्रकार की छान–बिन किये अदालत मातहत ने सहवन से उक्त नामांतरकरण संख्या 115 दर्ज कर दिया है, जो काबिले दुरूस्त है।उक्त गलत नामांतरकरण की अपीलांट को कभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं रही। दिनांक 13.10.2020 को जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी में आया। अपीलांट अनपढ महिला है। अतः नामांतरकरण आदेश संख्या 115 दिनांक 19.06.1998 को निरस्त कर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– गांव धीरासर तहसील मलसीसर में भूमि खसरा नंबर 102 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 156 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 218 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 3 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नंबर 312 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 315 रकबा 1.84 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.93 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि भूराराम की पुश्तैनी भूमि रही है जिसे अपने पूर्वज गोविन्दराम से वंशानुगत प्राप्त हुई है। अपीलांट के पिता भूराराम का देहान्त दिनांक 10.09. 1995 को हो गया है। भूराराम है। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कैम्प के दौरान विवादित भूमि का नामान्तरण अपने नाम से करवा लिया है। जिसमें सहवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

से अपीलांट का नाम दर्ज करने से रह गया। जबकि उक्त भूमि के मूल पुरूष भूराराम है। भूराराम की पत्नी सावित्री देवी के अलावा एक पुत्र विपक्षी संख्या 1 दयानन्द उर्फ नन्दलाल है तथा 4 पुत्रियां जो अपील में अपीलांट हैं। इस प्रकार मृतक भूराराम के कुल 6 विधिक वारीसान है। दिनांक 19.06.1998 को बिना किसी प्रकार की छान–बिन किये अदालत मातहत ने सहवन से उक्त नामांतरकरण संख्या 115 दर्ज कर दिया है, जो काबिले दुरूस्त है। अतः नामांतरकरण आदेश संख्या 115 दिनांक 19.06.1998 को निरस्त कर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने दौराने बहस अपील मेमो एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के कथनों का समर्थन किया एवं कथन किया कि रेस्पोंडेट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है और अपील स्वीकार की जाती है तो उनको कोई आपति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि भूराराम की पुश्तैनी भूमि रहीं है जो पूर्वज गोविन्दराम से वंशानुगत प्राप्त हुई है। अपीलांट के पिता भूराराम का देहान्त दिनांक 10.09. 1995 को हो गया है। भूराराम है। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कैम्प के दौरान विवादित भूमि का नामान्तरण अपने नाम से करवा लिया है। जिसमें सहवन से अपीलांट का नाम दर्ज करने से रह गया। जबकि उक्त भूमि के मूल पुरूष भूराराम है। भूराराम की पत्नी सावित्री देवी के अलावा एक पुत्र विपक्षी संख्या 1 दयानन्द उर्फ नन्दलाल है तथा 4 पुत्रियां जो अपील में अपीलांट हैं। इस प्रकार मृतक भूराराम के कुल 6 विधिक वारीसान है। दिनांक 19.06.1998 को बिना किसी प्रकार की छान–बिन किये अदालत मातहत ने सहवन से उक्त नामांतरकरण संख्या 115 दर्ज कर दिया है जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज होने से रह गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंन्डेंट ने भी अपीलांट के कथनों का समर्थन किया है और अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में जोड़े जाने पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 19.06.1998 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त भूमि के संबंध में मृतक भूराराम के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सम्पादित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

31.8.2021
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested